रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 1995/फाल्गुन 27, 1916
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1995/PHALGUNA 27, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अनुसरण में बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपविधियां आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

(Department of Personnel & Training)

CORRIGENDUM

New Delhi the 24th February, 1995

G.S.R. 129.— In the notification No. 20/6/92-CS-II dated 23-8-94 published under G.S.R. No. 460 in Part II Sec 3 (i) of the Gazette of India dated 17-9-94 at pages 1468-1469 of Sub-para (i) of para I of the English Version the following corrections are under—

Incorrect version	Correct version
Para 1(1) These rules may be called the Central Secretariat Central Government in the Department of Person—	Para 1(1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Amendment) Rules, 1994.

[No. 20/6/92-CS.II]

KARTAR SINGH, Under Secy.

योजना आयोग

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा. का. नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना आयोग में नयाचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग नयाचार अधिकारी भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर भर्ती के संबंध में लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
नयाचार अधिकारी	01* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो - 75-3200-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) 1. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या 2. जिन्होंने 1640–2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; या 3. जिन्होंने 1400–2300/2600रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :— 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य ; और 2. नयाचार से संबंधित कार्य जिसके अन्तर्गत जन संपर्क कार्य भी है, का कम से कम दो वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए – 12025/1/91-प्रशा 5]

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the Planning Commission namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Planning Commission, Protocol Officer Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the recruitment to the post specified in column (i) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of ost, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissable under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of pfay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	7
Protocol Officer	01* *1994 *Subject to variaiton dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	N.A	N.A	N.A

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10	11
N.A.	N.A.	N.A.	Transfer on Deputation.

In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation : Officers under the Central Government :— (a)(i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or Equivalent; or (iii) With 8 years regular service in posts inthe scale of Rs. 1400-2300/2600 or Equivalent, and	N.A.	Consultation with UPSC not necessary.

12

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :—
(i) Degree from a recognised University or equivalent and
(ii) At least 2 years experience of Protocol including public relations work if any.
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 3 (three) years, The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 55 years, as on the closing date of receipt of applications.

[No. A-12025/1/91-Admn.-V]
RAJENDRA PRASAD SHARMA, Under Secy.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 131:— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में कतिपय समूह "घ" पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. दफ्तरी	4* (1994)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	775-12-955-14-1025 रु.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।	(क) ऐसे चपरासियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस हैसियत में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की है । (ख) ऐसे व्यक्तियो मे से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. अवर सचिव (प्रशासन का भारसाधक)–अध्यक्ष 2. दो अधिकारी, जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हो —सदस्य टिप्पण :– विभागीय प्रोन्नति समिति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मे समुदाय का होना चाहिए ।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
2. ज्येष्ठ चपरासी (जमादार)	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	775-12-955-14-1025 रु.	अचयन

6	7	8	9	10
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	(क) ऐसे चपरासियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस हैसियत में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) ऐसे व्यक्तियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए है और जिन्होंने आठवीं स्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— अवर सचिव (प्रशासन का भारसाधक) अध्यक्ष, दो अधिकारी, जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों—सदस्य टिप्पण : विभागीय प्रोन्नति समिति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय का होना चाहिए।	

1	2	3	4	5	6	7
3. चपरासी	15* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	750-12-870-14-940 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11		12
आठवां स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष	75 प्रतिशत और 25 प्रति जिसके न हो भर्ती द्वारा।	भर्ती द्वारा अन्तरण द्वारा पर सीधी	ऐसे व्यक्तियों में से स्थानांतरण द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए है और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं है।

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अवर सचिव (प्रशासन का भारसाधक) —अध्यक्ष दो अधिकारी, जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों—सदस्य टिप्पण : विभागीय प्रोन्नति समिति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय का होना चाहिए।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. सफाईवाला	2*(1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	750-12-870-14-940रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है. टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11	12	13	14
वांछनीय आठवां स्तर	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— अवर सचिव प्रशासन का भारसाधक–अध्यक्ष दो अधिकारी, जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13	14
					नीचे के न हों —सदस्य टिप्पण : विभागीय प्रोन्नति समिति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय का होना चाहिए ।	

1	2	3	4	5	6	7
5. पहरा निगरानीकर्ता	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित, अनन्सचिवीय	750-12-870-14 940 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

8	9	10	11	12	13	14
वांछनीय : (i) होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा और होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा में क्रमशः "बुनियादी" और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम । (ii) आठवां स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होना	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— अवर सचिव प्रशासन का भारसाधक — अध्यक्ष दो अधिकारी, जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों—सदस्य टिप्पण : विभागीय प्रोन्नति समिति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय का होना चाहिए ।	लागू नहीं होना ।

[स. ए-12018/3/94 प्रशा ./128]

ओ. पी. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 21st February, 1995

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'D' posts in the Ministry of Food Processing Industries, namely:—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Ministry of Food Processing Industries (Group 'D' posts), Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limits, qualifications etc.—The method of recruitment, age limits, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4 Disqualification - No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts*	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1 Daftry	4* (1994) *Subject to variation dependent on work load	General Central Services, Group 'D' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 775-12-955-14-1025.

Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
5	6	7	8
Non-Selection	No	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation.

In case of rectt. by promotion/deputation/ transfer, grade from which promotion/ transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
12	13	14
(a) By promotion from peons who have rendered at least 2 years regular service in that capacity. (b) By transfer on deputation from persons holding similar or equivalent posts in the Central Government Offices and have passed middle school examn. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— Under Secretary (Incharge of Admn.) —Chairman Two officers not below the rank of Section Officer —Members Note : One Member of DPC should belong to SC/ST	Not applicable

1	2	3	4
2. Senior Peon (Jamadar)	1* (1994) *Subject to variation dependent on work load.)	General Central Services, Group 'D' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 775-12-955-14-1025.

5	6	7	8
Non-Selection	No	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.

12	13	14
(a) By promotion from peons who have rendered at least 2 years regular service in that capacity. (b) By transfer on deputation of persons holding similar or equivalent posts in the Central Government Offices and have passed Eighth Standard examn.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— Under Secretary (Incharge-of Admn.) —Chairman Two Officers not below the rank of Section Officer —Members Note : One Member of DPC should belong to SC/ST.	Not applicable

1	2	3	4
3. Peon	15* (1994) *Subject to variation dependent on work load	General Central Services, Group 'D' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 750-12-870-14-940

5	6	7	8
Not applicable	No	18 to 25 years (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit, shall be the last date upto which the Employment exchanges are asked to submit the names.	Eighth standard pass.

9	10	11
Not applicable	2 years	75% by direct recruitment and 25% by transfer, failing which by direct recruitment.

12	13	14
By transfer of persons holding similar or equivalent posts in the Central Government offices and possessing qualifications required for direct rectt.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— Under Secy. (Incharge of Admn.)—Chairman Two Officers not below the rank of Section Officer —Members Note : One Member of DPC should belong to SC/ST.	Not applicable

1	2	3	4
4. Safai-Wala	2* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group 'D', (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 750-12-870-14-940.

5	6	7	8
Not applicable	No	18 to 25 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit, shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.	Desirable : Eighth standard pass.

9	10	11
Not applicable	2 years	By direct recruitment

12	13	14
Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— Under Secretary (Incharge of Admn.) —Chairman Two Officers not below the rank of Section Officers —Members Note : One Member of DPC should belong to SC/ST.	Not applicable

1	2	3	4
5. Watch and Ward	1* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'D', (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 750-12-870-14-940

5	6	7	8
Not applicable	No	18 to 25 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit, shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.	Desirable : (i) Three years service as Home Guard/Civil Defence Volunters and training in 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guards and Civil Defence respectively. (ii) Eighth standard pass.

9	10	11
Not applicable	2 years	By direct recruitment

12	13	14
Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of— Under Secretary (Incharge of Admn).—Chairman Two Officers not below the rank of Section Officers —Members Note : One Member of DPC should belong to SC/ST.	Not applicable

[No. A—12018/3/94—Admn./128]

O.P. JAIN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 132 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप संघ राज्य क्षेत्र (मछली सहायक निदेशक) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते ऐसे जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में मछली उद्योग सहायक निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (सहायक निदेशक मछली उद्योग) भर्ती नियम, 1995 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक मछली उद्योग	5* (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख"	2000-60-2300 -इ.रो.-75	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
		राजपत्रित अननु-सांचिवीय	3200-100-3500 रु.		किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	
		*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।			टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले से पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी-विज्ञान सामुद्रिक जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री या मत्स्य विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य । (ii) मछली उद्योग विकास में दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से मत्स्य विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य या केन्द्रीय मछली उद्योग शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा प्रदत्त मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।	नहीं	दो वर्ष

8	9	10
टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
50 प्रतिशत ,प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है । 50 प्रतिशत, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे मछली उद्योग अधिकारी/प्रशीक्षक, नौका निर्माण यार्ड अधीक्षक, मछली उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र जिन्होंने पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और ऐसे सहायक प्रबंधक (प्रसंस्करण) जिन्होंने पद पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण :– प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी/पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 1600-2600 रु./1400-2300/2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5/8 वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

12

	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम, तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के लिए) 1. कलक्टर-सह-विकास आयुक्त —सदस्य 2. पुलिस अधीक्षक —सदस्य 3. कार्यपालन इंजीनियर/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी —सदस्य 4. निदेशक मछली उद्योग —सदस्य टिप्पण :— सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षकता में फिर से होगी ।	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा.सं. 22017/3/90-एस.एल. एण्ड यू.टी]

के.पी. मल्होत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 2nd February, 1995

G.S.R. 132.—In exercise of thep owers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Territory of Lakshadweep, Minicoy and Amindivi Islands (Assistant Director of Fisheries) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Director of Fisheries in the Union Territory of Lakshadweep Administration, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Union Territory of Lakshadweep Administration (Assistant Director of Fisteries) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law appliacble to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification
1	2	3
Assistant Director of Fisheries	5 (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Serivce Group 'B', Gazetted Non-Ministerial.

Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post.
4	5
Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Selection.

Age limit for direct recruits
6
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note. The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)

Whether benefit of added years of service admissible
7
No

Educational and other qualifications required for direct recruits
8
Essential : (i) Master's Degree in Zoology/Marine Biology or Bachelor's Degree in Fisheries Science from a recognised University or equivalent. (ii) 2 years' experience in Fisheries Development Desirable : Master's Degree in Fisheries Science from a recognised University or equivalent or Post Graduate Diploma in Fisheries Science issued by the CIFE, Bombay. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commision in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
9
No

Period of probation, if any
10
Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
11
50.00 % by promotion failing which by transfer on deputation including short-term contract 50.00 % by transfer on deputation including short-term contract failing which by direct rectuitment

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
12
Promotion: Fisheries Officers/Superintendent, Boat Building Yard/Superintendent Fisheries Training Centre with 5 years regular service in the post and Assistant Manager (Processing) with 8 years' regular service in the post. Note: The eligibility list for promotion shall be preprared with reference to the date of completion of the officers of the prescribed qualifying service in the respective Grade/Post. Transfer on Deputation : Officers of the Central/State Governments/Union Territories,— (a)(i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 3 years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; or (iii) With 5/8 years' regular service in posts in the scale of pay 1600-2660/Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation; Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of deputation including period of deputation in an other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not be exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications]

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
13
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For Promotion/Confirmation) 1. Collector-cum-Development Commissioner—Chairman. 2. Superintendent of Police—Member. 3. Executive Engineer/Senior Medical Officer— Member. 4. Director of Fisheries—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
14
Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation/contract.

[F.No. 22017/3/90-SL&UT]
K.P. MALHOTRA, Under Secy.

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 133.—विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1)(ख) के साथ पठित विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 26 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड, दिनांक 25 नवम्बर, 94 को हुई अपनी बैठक में परीक्षा के आयोजन और विद्यार्थी के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के अध्यादेश के खंड (5) के उप खंड (1) और (3) में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्द्धन करता है ।

1. उक्त अध्यादेश के खंड (5) के उपखंड (1)(ख) को संशोधन/परिवर्द्धन के बाद निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :—

1(ख) स्नातक स्तरीय कार्यक्रमों कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक और दूर शिक्षा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के अतिरिक्त किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने और संबद्ध उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र की अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित पाठ्यक्रमों में कुल औसत की श्रेणी "ग" प्राप्त करनी होगी, बशर्ते कि उसने सतत मूल्यांकन या सत्रांत परीक्षा में श्रेणी "घ" से कम श्रेणी न प्राप्त की हो ।

2. निम्नलिखित उप खंड 1(च) को उक्त अध्यादेश के खंड (5) के उप खंड 1(घ) के बाद जोड़ा जाएगा :—

1(च) दूर शिक्षा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन के मानदंड और नीति नीचे लिखे अनुसार होगी :—

(i) दूर शिक्षा स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान प्रति वर्ष भारत के अलावा अन्य देशों के दूर शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के विद्यार्थियों तथा दूर शिक्षा में कला निष्णात (एम ए डी ई) के सभी विद्यार्थियों में से जून और दिसंबर की सत्रांत परीक्षा के लिए क्रमशः अप्रैल और अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक पात्र अभ्यार्थियों को नामित करेगा । पात्रता का निर्णय सत्रीय कार्य, आवधिक पत्र और/या कोई अन्य प्रकार का शैक्षणिक अभ्यास जो संबंधित सत्रांत परीक्षा के लिए मार्च 31 और सितम्बर 30 तक समय-समय पर निर्धारित किया गया हो, के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) क्रमशः जून और दिसंबर की सत्रांत परीक्षाओं के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का परिणाम प्राप्त करने के लिए परियोजना रिपोर्टें जहां लागू हों, क्रमशः मई 31 और नवबंर 30 तक जमा करवा दें ।

(iii) किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सतत मूल्यांकन में कम से कम औसत श्रेणी "घ" और उसके बाद होने वाली सत्रांत परीक्षा में कम से कम श्रेणी "ग" होनी चाहिए। किसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुख्य/विशिष्ट कार्यक्रम सहित सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

(iv) विद्यार्थी एक समय में (सत्रांत परीक्षा के सत्र के दौरान) अधिक से अधिक पांच पाठ्यक्रमों अर्थात् 30 क्रेडिट में बैठ सकेगा ।

(v) कोई भी विद्यार्थी जिसने किसी एक कार्यक्रम में प्रवेश लिया हो, सत्रांत परीक्षा में तब ही बैठ सकेगा, यदि उस ने उस कार्यक्रम में पूरा शैक्षिणक वर्ष, साथ ही निर्धारित संख्या में सत्रीय कार्य आवधिक पत्र आदि पूरे किए हों ।

(vi) किसी डिप्लोमा या उपाधि को प्राप्त करने के लिए उस कार्यक्रम से संबंधित नियमों के अनुसार उस की सभी आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।

(ये संशोधन 1 जनवरी, 1995 से लागू होंगे)

3. उक्त अध्यादेश के खंड (5) में निम्नलिखित उपखंड (3) को जोड़ा जाए :—

(i) किसी विशेष विषय को मुख्य विषय के रूप में लेकर कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को उस विषय से संबंधित प्रयोजन मूलक पाठ्यक्रम के विषयों सहित 48 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

(ii) जो अभ्यर्थी अपेक्षित 48 क्रेडिट नहीं प्राप्त करते हैं, उन्हें कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक या विज्ञान स्नातक, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें स्नातक उपाधि बिना मुख्य विषय के दी जा सकती है ।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी जब भी अपेक्षित 48 क्रेडिट प्राप्त कर लेंगे तो उनकी डिग्री संबंधित मुख्य विषय के साथ बदल कर प्रदान की जाए ।

[सं. आई.जी./एडमिन(जी)ओआरडी 8/92)]

दिनेश चन्द्र पंत, कार्यकारी कुलसचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the University, read with Section 26(1)(b) of the University Act, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University, at its meeting held on November 25, 1994 made an amendment/addition to the provisions of sub-clauses (1) and (3) of Clause (5) of the Ordinance on Conduct of Examinations and Evaluation of Student Performance as indicated below :

1. Sub-Clauses (1)(b) of Clause (5) of the said Ordinance after the amendment/addition will read as follows :—

1(b) Except for the Bachelor's degree programmes of B.A., B.Com., and B.Sc. and the Distance Education courses/programmes, for the successful completion of a course and to qualify for the relevant degree/diploma/certificate, a student has to obtain an overall average of grade 'C' in the relevant course, provided that he/she does not obtain a grade lower than 'D' either in continuous evaluation or in term end examination.

2. The following Sub-clause (1)(e) will be added after sub-clause (1)(d) of Clause (5) of the said Ordinance :—

1(e) The Evaluation criteria and policy pertaining to Distance Education courses/programmes will be as under :

(i) For PGDDE students from countries other than India and all the MADE students, STRIDE will identify the eligible candidates by the 1st week of April and the first week of October for the June and December term-end examinations respectively every year. Eligibility will be decided on the assignment-responses, term papers and/or completion of any other type of academic exercises prescribed from time to time by March 31 and September 30 for the respective term-end examinations.

(ii) Project reports, wherever applicable, should have been submitted latest by May 31 and November 30 to claim course/programme results with the June and December term-end examinations respectively.

(iii) To complete a course successfully one needs to pass the continuous assessment with at least an average grade "D" and the corresponding term-end examination with at least a grade "C". To complete a programme successfully one must pass all the courses comprising the programme individually.

(iv) At a time (i.e., during a term-end examination session) a student may sit for at the most five courses (i.e., 30 credits).

(v) A candidate admitted to a programme can sit for the term-end examination only after completing the full academic year on the programme as well as the prescribed number of assignments, term papers etc., for it.

(vi) To claim a diploma or a degree one must have completed successfully all the requirements pertaining to the programme concerned in accordance with the respective regulations.

(These amendments will be effective from 1st January, 1995.)

3. The following Sub-Clause (3) be added to Clause (5) of the said ordinance :—

(i) to qualify for the award of BA/BCom/BSc degree with a particular subject as major, a candidate should obtain 48 credits including those in application oriented courses relevant to that subject;

(ii) those candidates who have not secured the requisite 48 credits may be awarded the Bachelor's Degree in Arts, Commerce or Science, as the case may be, without specifying any subject as major;

(iii) as and when such candidates secure the requisite 48 credits, the degrees awarded to them may be converted into those with the relevant subject as major.

[No. IG/Admn. (G)/ORD.8/92]

D. C. PANT, Registrar (Acting)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 134.—विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (1)(ख) के साथ पठित विश्वविद्यालय की संविधि की संविधि 26 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड दिनांक : 22 मार्च, 93 की बैठक में परीक्षा के आयोजन तथा विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन अध्यादेश के खंड 5(1) के उपखंड (क) से (घ) में संशोधन/परिवर्धन करता है ।

उक्त अध्यादेश के खंड 5(1) को संशोधन के पश्चात् निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :—

(क) प्रबंध पाठ्यक्रम के सभी डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम तथा अन्य सभी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के संबंध में सतत मूल्यांकन तथा सत्रांत परीक्षा दोनों में विद्यार्थी के कार्य-निष्पादन को अक्षरों की श्रेणी में दर्शाया जाएगा । ये श्रेणियां इस प्रकार हैं :—

क—उत्कृष्ट

ख—बहुत अच्छा

ग—अच्छा

घ—संतोषजनक

च—असंतोषजनक

(ख) स्नातक स्तर के कार्यक्रम, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक के अतिरिक्त किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र की अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित पाठ्यक्रम में कुल औसत की श्रेणी "ग" प्राप्त करनी होगी, बशर्ते कि उसने सतत् मूल्यांकन या सत्रांत परीक्षा में से किसी में भी श्रेणी "च" से कम श्रेणी न की हो ।

(ग) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक के कार्यक्रमों के लिए सतत मूल्यांकन एवं सत्रांत परीक्षा में विद्यार्थी के कार्य-निष्पादन की श्रेणियों को अंकों में निम्नानुसार दर्शाया जाएगा ।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक :

प्रथम श्रेणी—60% और अधिक

द्वितीय श्रेणी—50-% 59%

सफल— 40% — 49%

असफल — 40% से कम

कला स्नातक/वाणिज्य स्नातक/विज्ञान स्नातक के लिए :

प्रथम श्रेणी— 60% और अधिक
द्वितीय श्रेणी — 50% — 59%
सफल — 35% — 49%
असफल — 35% से कम

बशर्ते कि उपरोक्त उप-खंड (क) के अनुसार अंक विवरण/श्रेणी कार्ड में अंक एवं उनके समकक्ष अक्षर श्रेणी दर्शाई जाए।

(घ) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य तथा सत्रांत परीक्षा के उत्तर आलेख के मूल्यांकन के तरीके अकादमिक परिषद के अनुमोदन से समय-समय पर मूल्यांकनकर्ताओं के मार्ग दर्शन हेतु निर्धारित किए जाएंगे।

[सं. आईजी/एडमिन(जी)ओआरडी 8/92]
दिनेश चन्द्र पंत, कार्यकारी कुलसचिव

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (d) of Statute 26 of the Statutes of the University, read with Section 26 (1)(b) of the University Act, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University, at its meeting held on March 22, 1993 made an amendment/addition to the sub-clauses (a) to (d) of Clause (5)(1) of the Ordinance on Conduct of Examinations and Evaluation of Student Performance.

Clause 5(1) of the said Ordinance after the amendment will read as follows :—

(a) The levels of student performance, both in continuous evaluation as well as at term end examinations, in respect of all degree/diploma programmes in Management, and all other Diploma and Certificate programmes will be indicated in letter grades. These grades are :

A—Excellent
B—Very Good
C—Good
D—Satisfactory
E—Unsatisfactory

(b) Except for the Bachelor's degree programmes of B.A., B.Com., and B.Sc., for the successful completion of a course and to qualify for the relevant degree/diploma/certificate a student has to obtain an overall average of grade 'C' in the relevant course, provided that he/she does not obtain a grade lower than 'D' either in continuous evaluation or in term-end examination.

(c) The Student performance, both in continuous evaluation as well as at term-end examinations for the programmes of BLIS, BA, BCom and BSc will be in numerical marking as indicated below :

For BLIS :

I Division	60% & more
II Division	50%—59%
Pass	40%—49%
Unsuccessful	Below 40%

For BA/BCom/BSc

I Division	60% & more
II Division	50%—59%
Pass	35%—49%
Unsuccessful	Below 35%

Provided that the marks statement/grade cards may reflect both marks as well as their equilavent letter grades as specified at sub-clause (a) above.

(d) The mechanics of evaluation of assignments and answer scripts of the term-end examinations for the programmes of Bachelor in Library and Information Science (BLIS), Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Commerce (BCom) and Bachelor of Science (BSc), shall be laid down in the form of guidelines for evaluators, with the approval of the Academic Council from time to time.

[No. IG/ADMN(G)ORD. 8/92]
D. C. PANT, Registrar (Acting)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 135.—विश्वविद्यालय अधिनियम के खंड 26(1)(ए) के साथ पठित विश्वविद्यालय संविधि की संविधि 26 के खंड (1) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ईदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1993 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित अध्यादेश बनाए हैं :

दर्शन-निष्णात (एम.फिल) के संबंध में अध्यादेश

I. प्रचालनात्मक निकाय/एकक :

1. विद्यापीठ इत्यादि :

दर्शन-निष्णात की उपाधि विश्वविद्यालय के घटक, किसी भी विद्यापीठ एवं अन्य संस्थान, स्वायत्त या अन्यथा द्वारा प्रदान की जा सकती है।

2. अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड :

अकादमिक परिषद के सामान्य दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत दर्शन-निष्णात (एम.फिल.) उपाधि से संबंधित शोध-अध्ययन की व्यवस्था अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड द्वारा शोध के प्रमुख विषय उसकी किस्म एवं उद्देश्यों की पहचान करके की जाएगी ताकि विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ हो सके और यह कार्य इ.गां.रा.मु.वि. की उपसमितियों एवं शोध समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

3. शोध उप-समितियां :

प्रत्येक विद्यापीठ में एक शोध उप-समिति का गठन किया जाएगा जिसकी बनावट इस प्रकार होगी :

(1) विद्यापीठ के निदेशक

(2) विद्यापीठ में कार्यरत प्रोफेसर

(3) अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड के बाह्य सदस्य

(4) विद्यापीठ के दो रीडर कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे ।

(5) शोध कार्य की प्रकृति के आधार पर कुलपति द्वारा दूर शिक्षा प्रभाग, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग एवं/अथवा संचार प्रभाग से प्रोफेसर/रीडर श्रेणी के अधिकतम दो सदस्य प्रत्येक विषयानुसार नामित किए जाएंगे ।

प्रत्येक उप-समिति में विद्यापीठ के प्रोफेसरों में से अध्यक्ष नियुक्त होंगे, जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा (जैसा कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अपनी नियुक्ति की तारीख से होता है) । अध्यक्ष पद वरिष्ठतमक प्रोफेसर से शुरू होकर क्रम बद्ध रूप (रोटेशन) से अन्य प्रोफेसरों तक जाएगा । कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से उप-समिति का कोरम पूरा माना जाएगा जिसमें कम से कम दो बाह्य सदस्य होने आवश्यक हैं ।

4. शोध समिति :

इं.गां.रा.मु.वि. की शोध समिति, कुलपति द्वारा नामित सम-कुलपति की अध्यक्षता में कार्य करेगी । इसकी संरचना इस प्रकार होगी :

(1) शोध उप समिति के अध्यक्ष

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों से कुलपति द्वारा नामित तीन प्रोफेसर

(3) कुलपति द्वारा नामित निम्नलिखित प्रभागाध्यक्षों में से तीन प्रोफेसर :

दूर शिक्षा
संचार
प्रवेश
मूल्यांकन
एवं
क्षेत्रीय सेवाएं

(4) कुलपति द्वारा तीन बाह्य विशेषज्ञ नामित किए जाएंगे । ऐसी व्यवस्था की गई है कि सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक अपने पदों पर बने रहेंगे एवं समिति वर्ष में कम से कम दो बार बठक का आयोजन करेगी । इस समिति के 50 प्रतिशत सदस्यों से कोरम पूरा हो जाएगा । यह प्रावधान भी है कि शोध समिति की सिफारिशें अंतिम अनुमोदन के लिए कुलपति के पास भेजी जाएंगी ।

5. प्रवेश प्रभाग एवं मूल्यांकन प्रभाग

प्रवेश प्रक्रिया का कार्य प्रवेश प्रभाग द्वारा आरंभ किया जाएगा एवं मूल्यांकन तथा प्रमाणन का प्रबंध, मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जायगा ।

II विद्यार्थी समूह

II पात्रता :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अध्ययन क्षेत्र में इस उद्देश्य हेतु अधिसूचित इसके समकक्ष कोई अन्य शैक्षिक योग्यत प्राप्त उम्मीदवार दर्शननिष्णात में प्रवेश ले का पात्र होगा । बशर्ते कि उसने इन पाठ्यक्रमों में कम से कम 55 प्र. (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत) अंक अथवा इसके समकक्ष श्रेणी प्राप्त की हो । विश्वविद्यालय के आंतरिक अभ्यार्थियों के मामले में उम्मीदवार ने आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

7. दर्शन-निष्णात छात्रों की श्रेणियां एवं शोध स्थान :

दर्शन-निष्णात छात्रों की तीन श्रेणियां होंगी :

(1) पूर्णकालिक, (2) अंश कालिक (आंतरिक),

(3) अंशकालिक (बाह्य)

(1) पूर्णकालिक छात्र: इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त सभी छात्र जो पूर्णकालिक अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, इस श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे । वे अपनी परियोजनाओं पर काम या तो विश्वविद्यालय के मुख्यालय या विश्वविद्यालय के किसी भी क्षेत्रीय केन्द्र में कर सकते हैं ।

(2) अंशकालिक (आंतरिक) छात्र : सभी प्रवेश प्राप्त छात्र जो इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय के किसी भी एकक या इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में नियुक्त हैं, और सेवारत अवधि के दौरान उपाधि के लिए काम कर रहे हैं, इस श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे । वे अपनी शोध परियोजनाओं का कार्य अपनी नियुक्ति-स्थान पर ही करेंगे किन्तु साथ ही इस हेतु आवश्यकतानुसार मुख्यालय पर भी कार्य करेंगे ।

(3) अंशकालिक (बाहय) छात्र : सभी प्रवेश प्राप्त छात्र जो देश के अन्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय/राज्य प्रयोगशालाओं, आर एंड डी संगठनों इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों एवं इस विश्वविद्यालय से अंशकालिक शोध कार्य करने के लिए इन संगठनों द्वारा नामित वे छात्र जो सेवारत हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे । इस श्रेणी के छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने कार्य-स्थल पर ही उपाधि के लिए काम करेंगे । उन्हें इस विश्वविद्यालय के संबंधित संकाय के पर्यवेक्षक तथा उस संगठन के एक पर्यवेक्षक उनके कार्य-स्थल से समीप होने पर इं.गां.रा.मु.वि. के क्षेत्रीय केन्द्र के एक संयुक्त पर्यवेक्षक में काम करना होगा ।

III प्रवेश

8. प्रवेश के लिए आवेदन :

दर्शन-निष्णात कार्यक्रम के लिए आवेदन निर्धारित फार्म में किया जाए तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर

प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार इसे कुलसचिव प्रवेश, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली 110068 के पास भेजा जाए। तत्पश्चात् संबंधित विद्यापीठ द्वारा प्रवेश कर कार्रवाई की जाएगी, इसे शोध उप-समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जायगा तथा शोध समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

—कार्यक्रम के लिए प्रवेश लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार अथवा इस उद्देश्य के लिए संबंधित विद्यापीठ द्वारा निर्धारित पूर्व शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा ।

—किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आई आई टी, सी एस आई आर तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा आयोजित सामान्य परीक्षा के आधार पर अध्येतावृत्ति प्राप्त उम्मीदवार को इस अध्यादेश के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार विश्व-विद्यालय की परीक्षा में बैठे बिना सीधे ही दर्शन-निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है ।

9. प्रवेश प्राधिकारी :

दर्शन निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश तथा पुनः प्रवेश संबंधित शोध समिति तथा शोध उप-समिति की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा दिया जाएगा। कार्यक्रम शुरु करने के लिए किसी सेवारत कर्मचारी के प्रवेश को संबंधित शोध समिति तथा शोध उप समिति की सिफारिशों पर अधिकतम एक अकादमिक वर्ष के लिए आस्थगित रखा जा सकता है ।

10. पुनः प्रवेश :

इस अध्यादेश के खंड 13.2(ii) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवेश की तारीख से चार वर्ष के भीतर शोध निबन्ध प्रस्तुत न करने पर छात्र का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। परन्तु प्रवेश रद्द छात्र द्वारा अनुरोध करने पर शोध समिति छात्र को पुनः प्रवेश देने पर विचार और सिफारिश कर सकती है। छात्र को उसके पूर्व प्रवेश के रद्द होने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः प्रवेश तभी दिया जा सकता है, जब संबंधित पर्यवेक्षक एवं शोध उप-समिति इसके लिए सिफारिश करे ।

11. कार्यक्रम शुल्क :

कार्यक्रम शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश शुल्क, प्रारंभिक कार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अन्य शुल्क शामिल होंगे जो वार्षिक आधार पर लिए जाएंगे। खंड 10 के अन्तर्गत पुनः प्रवेश प्राप्त छात्रों को सम्पूर्ण शुल्क अदा करना होगा ।

IV दर्शन निष्णात कार्यक्रम

12. दर्शन-निष्णात कार्यक्रम की संरचना :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दर्शन-निष्णात कार्यक्रम को विद्यार्थी के अध्ययन घंटों में पूर्णकालिक के समकक्ष गिना जाएगा, जिसमें 30–60 क्रेडिट होंगे ।

(1) इसके अंतर्गत 30 क्रेडिट होंगे जिसमें कोई भी प्रारंभिक कार्य नहीं होगा तथा परीक्षाफल शोध निबंध के आधार पर घोषित किया जाएगा ।

(2) इसके अन्तर्गत अधिकतम 60 क्रेडिट होंगे जिसमें शोध निबंध के अतिरिक्त प्रारंभिक कार्य होगा परन्तु किसी भी स्थिति में प्रारंभिक कार्य 30 क्रेडिट से अधिक नहीं होगा और छात्र प्रारंभिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही शोध-निबंध पर कार्य कर सकेगा ।

13. दर्शन निष्णात कार्यक्रम की समयावधि :

13.1 न्यूनतम और अधिकतम समयावधि :

पूर्णकालिक छात्रों के लिए (खंड 7) (i) कार्यक्रम पूरा करने की न्यूनतम और अधिकतम समयावधि क्रमशः एक और तीन वर्ष होगी, जिसकी गिनती कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से की जाएगी ।

अंशकालिक छात्रों के लिए खंड 7(ii) और (iii) कार्यक्रम पूरा करने की न्यूनतम और अधिकतम समयावधि क्रमशः दो और चार वर्ष होगी, जिसकी गिनती कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से की जाएगी ।

किन्तु यदि किसी विद्यार्थी से किसी पाठ्यक्रम कार्य, क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य या कोई अन्य कार्य अपेक्षित है, तो निर्धारित अवधि को न्यूनतम एक वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है ।

13.2 अधिकतम समयावधि का विस्तार :

(1) विशिष्ट परिस्थितियों में, संबंधित पर्यवेक्षक एवं शोध उप-समिति की सिफारिशों और कुलपति की अनुमति से उम्मीदवार को शोध निबंध प्रस्तुत करने के लिए तीन-चार वर्ष की सामान्य अधिकतम समयावधि के अतिरिक्त एक वर्ष की रियायत अवधि प्रदान की जा सकती है ।

(2) यदि अतिरिक्त दी गई एक वर्ष की समयावधि में छात्र अपना शोध-निबंध प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायगा और उसका नाम नामावली से काट दिया जायगा ।

14. शोध कार्य का पर्यवेक्षण :

14.1 पर्यवेक्षण :

(1) सभी दर्शन-निष्णात छात्रों को ऐसे मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में काम करना होगा, जो विश्वविद्यालय के संकाय का सदस्य होगा ।

(2) अंशकालिक (बाह्य) छात्रों को इस अध्यादेश के खंड 7(iii) के अनुसार संगठन के मान्यता प्राप्त संयुक्त पर्यवेक्षक अथवा छात्र के कार्यस्थल के समीप इं.गां.रा.मु.वि., क्षेत्रीय केन्द्र के पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करना होगा ।

(3) पूर्णकालिक तथा अंशकालिक (आंतरिक) उम्मीदवारों के लिए नितान्त आवश्यक होने पर संयुक्त पर्यवेक्षक की सिफारिश संबंधित शोध उप समिति द्वारा की जाएगी ।

(4) दर्शन-निष्णात उपाधि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को अपने पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षक से संपर्क करने के लिए शोध उप समिति द्वारा प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित समय सुनिश्चित करना होगा।

14.2 पर्यवेक्षक की शैक्षिक योग्यता :

शोध कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए पर्यवेक्षकों एवं संयुक्त पर्यवेक्षकों के नाम अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिए जाएंगे जिस पर अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड सिफारिश करेगा। बशर्ते कि संबंधित आवेदकों के पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं हों :

(1) वे जिस विषय में छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहते है, उनके पास उस विषय या उससे संबंधित विषय में पी एच डी की उपाधि।

(2) अध्यापन/अध्ययन सामग्री निर्माण/अकादमिक परामर्श तथा शोध कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।

(3) संबंधित छात्रों के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष पूर्व की अवधि में समीक्षा/मानक पत्र-पत्रिका में कम से कम तीन लेख प्रकाशित हों।

14.3 प्रत्येक पर्यवेक्षक के अंतर्गत छात्रों की संख्या :

एक पर्यवेक्षक एक समय में सामान्यतया अधिकतम दो दर्शन-निष्णात छात्रों का मार्ग-दर्शन कर सकता है।

15. प्रारंभिक कार्य :

अधिकांश मामलों में यह व्यवस्था है कि छात्रों को शोध-निबंध कार्य प्रारंभ करने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। इस प्रकार के कार्य में निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है :

(1) किसी निर्धारित कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम (सों) में सफलतापूर्वक कार्य करना,

(2) किसी अध्ययन कार्यक्रम पर कार्य करना तथा इस पर आधारित बोधात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना,

(3) निर्धारित/शोध प्रयोगशाला कार्य पूर्ण करना,

(4) निर्धारित/शोध से संबंधित क्षेत्र अध्ययन पूरा करना,

(5) यदि निर्धारित हो तो आवासीय अपेक्षाएं पूरी करना।

सभी मामलों में इस प्रकार के प्रारंभिक कार्य को प्रवेश-तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।

इसके अतिरिक्त इस प्रकार के प्रारंभिक कार्य संबंधित अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड के मार्ग-निर्देशन के अंतर्गत संबंधित शोध उप समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जिसे विश्वविद्यालय की शोध समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायगा। यह व्यवस्था भी है कि जहां कहीं इस प्रकार का प्रारंभिक कार्य अनावश्यक समझा जाएगा, वहां संबंधित अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड के मार्गदर्शन के अन्तर्गत संबंधित शोध उप समिति इस आशय का एक विवरण तैयार करेगी, जिसे विश्वविद्यालय की शोध समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायगा।

16. छात्रों की प्रगति का अनुवीक्षण :

(1) प्रवेश की तारीख से प्रारंभ करते हुए, छात्र आवधिक रूप से (छः महीने में एक बार) निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रगति रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक (कों) को प्रस्तुत करेगा, जो इस पर अपनी टिप्पणी तथा किए गए कार्य का आंकलन करके समीक्षा के लिए शोध उप-समिति के माध्यम से शोध समिति को भेजेगा।

(ii) पर्यवेक्षक और/अथवा संयुक्त पर्यवेक्षक किसी छात्र के कार्य को प्रस्तुत करने के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें संकाय सदस्य, शोध अध्येता तथा इस क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने वाले भी भाग ले सकते हैं।

(iii) ऐसे छात्र जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है अथवा जो दर्शन निष्णात कार्यक्रम के लिए दी गई अधिकतम समयावधि में कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं, उनका प्रवेश अकादमिक परिषद् द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

17. शोध-निबंध प्रस्तुति :

(i) सामान्यतया परिशिष्ट और संदर्भ को छोड़कर मुख्य शोध-निबंध मानक आकार के 150 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत किए गए प्रत्येक शोध निबंध में पर्यवेक्षक (कों) द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, पारंपरिक प्रकार की प्रस्तावना होनी आवयक है परंतु किसी प्रकार का समर्पण नहीं होना चाहिए। जिन मामलों में प्रारंभिक कार्य नहीं है, उनमें मुख्य शोध-निबंध परिशिष्ट एवं संदर्भ को छोड़कर 250 मानक पृष्ठों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(ii) खंड 17 (i) में दी गई व्यवस्थानुसार पर्यवेक्षक (कों) द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि शोध-निबंध, छात्र द्वारा पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण एवं मार्ग-दर्शन में किए गए वास्तविक शोध कार्य का रिकार्ड है और यह कार्य किसी अन्य उपाधि या डिप्लोमा के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(iii) शोध-निबंध व्यवस्थित और विद्वतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, जो विद्यार्थी के मौलिक शोध-कार्य का वृत्तांत होगा, जिसमें पूर्व ज्ञात तथ्यों के सहसंबंध या उपयुक्त सामान्यीकरण की प्रमुखता रहेगी। (विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक, हार्डवेयर मूलक आदि) या जो शैक्षिक संप्रेषण की गुणवत्ता

का प्रदर्शन करने वाली संशोधित/बेहतर तकनीक प्रस्तुत कर सके ताकि ज्ञान और/या शैक्षिक संप्रेषण की उन्नति में उसका निर्णायक योगदान हो सके और जो छात्र की निरंतर शोध करने, निष्कर्षों को उचित ढंग से प्रस्तुत करने तथा नए ढंग से शैक्षिक संप्रेषण में योगदान करने की क्षमता भी प्रमाणित कर सके ।

(iv) खंड 16 (i) में निर्धारित किए गए प्रारूप एवं विनिर्देशानुसार शोध-निबंध की चार प्रतियां बनाई जाएंगी । इनमें से तीन प्रतियां संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के माध्यम से मूल्यांकन प्रभाग को भेजी जाएंगी ।

(v) लगभग 500 शब्दों में लिखे गए शोध निबंध के सार की तीन प्रतियां शोध-निबंध जमा कराने की नियत तारीख से कम से कम एक महीने पूर्व शोध उप-समिति को जमा कराई जाए जिससे परीक्षक की नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

(vi) शोध-निबंध जमा कराने से पूर्व शोध-परिणाम प्रकाशित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रकाशन को शोध-निबंध के परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

V. मूल्यांकन

18. प्रारंभिक कार्य का मूल्यांकन :

प्रत्येक शोध-उप-समिति अपने से संबंधित विद्यापीठ के माध्यम से प्रवेश प्राप्त छात्रों के लिए निर्धारित किए गए प्रारंभिक कार्य का मूल्यांकन करने हेतु एक योजना तैयार करेगी किंतु शर्त यह होगी कि छात्र का प्रारंभिक कार्य सफलतापूर्वक तभी पूरा माना जाएगा, जब वह प्रारंभिक कार्य के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्य में कम से कम "सी" ग्रेड (पांच अंकों के स्केल में आंकने पर) अथवा अधिकतम अंकों का 55% प्राप्त करता है ।

19. शोध-निबंध का मूल्यांकन .

(i) शोध-निबंध का मूल्यांकन करने के लिए दो परीक्षक होंगे--एक संबंधित पर्यवेक्षक तथा एक बाह्य परीक्षक जो विश्वविद्यालय का अधिकारी न हो। दो पर्यवेक्षक होने की स्थिति में, विश्वविद्यालय संकाय का सदस्य परीक्षकों में से एक परीक्षक का कार्य करेगा।

(ii) शोध उप-समिति द्वारा प्रस्तावित तथा शोध समिति द्वारा पृष्ठांकित कम से कम आठ नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित किसी एक बाह्य परीक्षक को शोध-निबंध भेजा जाएगा, परंतु यदि कुलपति आवश्यक समझें, तो पैनल के बाहर से भी परीक्षकों को नामित कर सकते हैं।

(iii) परीक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे शोध-निबंध प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट भेज दें।

(iv) प्रत्येक परीक्षक अपनी रिपोर्ट में परियोजना का संपूर्ण मूल्यांकन कर, परियोजना को निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में रख सकता है : —

(क) दर्शन-निष्णात उपाधि प्रदान करने की सिफारिश की जाती है : प्रशंसनीय/अति प्रशंसनीय।

(ख) संशोधन की आवश्यकता है तथा पुन : प्रस्तुत करने की सिफारिश की जाती है।

(ग) अस्वीकृत।

प्रत्येक परीक्षक 200 से 300 शब्दों की रिपोर्ट देंगे जिसमें (क) के मामले में प्राप्त स्तर, (ख) के मामले में अपेक्षित संशोधन की प्रकृति तथा (ग) के मामले में अस्वीकृति के कारण का उल्लेख होगा।

(v) शोध समिति, परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर या तो शोध-निबंध को स्वीकार कर सकती है या इसे अस्वीकृत कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे :

(क) यदि दोनों परीक्षक उपाधि प्रदान करने की सिफारिश करें तो उपाधि हेतु शोध-निबंध स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि परीक्षक (कों) द्वारा किसी प्रकार के मामूली परिशोध, आशोधन इत्यादि का सुझाव दिया गया है तो उपाधि प्रदान करने से पूर्व उसे ठीक कर लिया जाएगा।

(ख) यदि दोनों परीक्षक शोध-निबंध को अस्वीकृत करने की सिफारिश करें, तो शोध-निबंध अस्वीकार किया जाएगा तथा छात्र के प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा।

(ग) यदि एक परीक्षक उपाधि प्रदान करने दूसरा अस्वीकृत करने की सिफारिश करे तो खंड 17(ii) के अनुसार कुलपति द्वारा नामित तीसरे परीक्षक के पास शोध-निबंध भेजा जाएगा। यदि तीन में से दो परीक्षक उपाधि प्रदान करने की सिफारिश करते हैं, तो शोध-निबंध स्वीकार कर लिया जाएगा । यदि परीक्षकों में से दो परीक्षक अस्वीकृत करने की सिफारिश करें तो शोध-निबंध अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा छात्र के प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा।

(घ) यदि कोई परीक्षक शोध-निबंध को परिशोधित करने की सिफारिश करते हैं, तो छात्र को सिर्फ एक बार शोध-निबंध परिशोधित करने तथा उसे छः महीने के भीतर परिशोधन की सिफा-

रिश करने वाले परीक्षक के पास शोध-निबंध पर उनकी अंतिम सिफारिश देने के लिए पुनः जमा कराना होगा, जिसके बाद इसे या तो उपाधि प्रदान करने के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

VI. कुलपति की शक्तियां :

22. असुविधाओं का उपचार :—

उपर्युक्त अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त दर्शन-निष्णात छात्रों के संबंध में आवश्यकतानुसार उपाय कर सकते हैं।

[सं. आई जी/प्रशा. (जी)/ओ आर डी-10/92]

दिनेश चंद्र पंत, कार्यकारी कुल सचिव

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the University, read with Section 26 (1)(a) of the University Act, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University, at its meeting held on March 22, 1993 made the following ordinance :—

ORDINANCE ON MASTER OF PHILOSOPHY (M. Phil.)

I. OPERATIONAL BODIES/UNITS

1. Schools etc.—The Degree of Master of Philosophy may be granted in any School of the University and in any Institution, autonomous or otherwise, that is a constituent of the University.

2. School Boards of Studies.—Subject to the general guidance of the Academic Council, research studies leading to the Degree of Master of Philosophy (M. Phil.) shall be organised by the School Boards of Studies, by way of identifying thrust areas in research, their types and purposes, with a view to strengthening the University to fulfil its objectives, through the mechanism of Research Sub-committees and the Research Committee of IGNOU.

3. Research Sub-committees.—Each School shall have a Research Sub-committee constituted as follows :

(i) Director of the School.

(ii) Professor(s) in the School.

(iii) External members of the School Board of Studies.

(iv) Two Readers from the School to be nominated by the Vice-Chancellor.

(v) Not more than two members in the rank of Professor/Reader from the Division of Distance Education Regional Services Division and/or Communication Division, depending on the nature of research work, to be nominated by the Vice-Chancellor on case to case basis.

Each sub-committee shall have a chair person from among the professors of the School who shall hold office for a period of two years (as each member does from the date of his/her appointment). Beginning with the senior most professor, chairpersonship will go by rotation. 50 per cent of the total number of members shall constitute the quorum of a sub-committee of whom at least two shall be external members.

4. Research Committee.—The Research Committee of IGNOU shall work under the Chairmanship of a Pro-Vice-Chancellor of IGNOU nominated by the Vice-Chancellor. It shall have the following composition.

(i) Chairmen of the research sub-committees.

(ii) Three Professors from various schools of IGNOU to be nominated by the Vice-Chancellor.

(iii) Three of the Heads of the following Divisions nominated by the Vice-Chancellor.

Distance Education

Communication

Admission

Evaluation

and

Regional Services

(iv) Three External Experts to be nominated by the Vice-Chancellor.

Provided that the members shall hold office for two years from the date of their appointment and that the Committee shall meet at least two times in a year. 50 per cent of the members shall make the quorum of this Committee. Provided also that the recommendations of the Research Committee will go to the Vice-Chancellor for final approval.

5. Admission Division and Evaluation Division.—The admission process shall be initiated by the Admission Division and the management of evaluation and certification will be looked after by the Evaluation Division.

II. CLIENTELE GROUPS

6. Eligibility.—A candidate who has qualified for the award of the Master's Degree of the Indira Gandhi National Open University or any other qualification recognised as equivalent thereto in fields of study notified for this purpose from time to time by this University is eligible for admission to the M.Phil. Programme provided he/she has secured at least 55 per cent marks (50 per cent by SC/ST candidates) or a grade equivalent thereof, at examinations leading to such a degree/qualification. Provided further that internal candidates shall have completed at least two years of service in the University on the date they submit the application.

7. Categories of M.Phil students and their Place of Research.—There shall be three categories of M.Phil. students : (i) Full-time (ii) Part-time (Internal); (iii) Part-time (External) :—

(i) Full-time Students : All the admitted students who pursue full-time study in this University shall belong to this category. They shall work on their projects either at the Headquarters or any of the Regional Centres of the University.

(ii) Part-time (Internal) Students : All the admitted students who are employed either in the various units of this University at Headquarters or its Regional Centres and work for the Degree while continuing in their jobs shall belong to this category. They shall work on their research projects at their own places of employment, provided that they shall also work at the Headquarters as and when needed for the purpose.

(iii) Part-time (External) Students : All the admitted students who are employed in other universities of the country, National/State Laboratories, R and D Organisations, Institutions of Higher Learning approved by this University and those who are sponsored by these organisations for pursuing part-time research in this University while continuing in their jobs shall belong to this category. They are expected to work for the Degree in their place of employment in addition to working at the University if needed. They shall be required to have one Supervisor from the faculty of this University and a Joint Supervisor from the organisation, or an IGNOU Regional Centre if it is close to the work place(s), where they are employed.

III. ADMISSION

8. Application for admission :

— Application for admission to the M.Phil. programme should be made in the prescribed form,

and sent to the Registrar Admissions, the Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi 110 068, in accordance with the advertisements released by the University from time to time. Subsequently, admissions will be processed by the School concerned finalised by the Research Sub-Committee and approved by the Research Committee.

— Admission to the programme shall be made on the basis of a written test, an interview, a written test and interview or a prior qualification recognised by the School concerned for this purpose.

— Provided that a candidate who is awarded a fellowship on the basis of a common examination conducted by the UGC, IIT's, CSIR or such other body as may be approved by the University may be admitted to the M.Phil. programme directly without being required to appear at a University test provided under this ordinance.

9. Admitting Authority.—Admission and re-admission to the M.Phil. programme shall be made by the Vice-Chancellor on the recommendations made by the Research Committee and the Research Sub-committee concerned.

The admission offered to an employed candidate, for him|her to join the programme, may be held in abeyance on the recommendation of the Research Committee, and the Research Sub-Committee concerned, for a maximum period of one academic year.

10. Re-admission.—A student's admission shall be cancelled if he|she fails to submit his|her dissertation within four years, provided under Clause 13.2 (ii) of this ordinance, from the date of his|her admission. The Research Committee may, however, consider and recommend requests for re-admission from students whose admission is cancelled. An application for re-admission, for a period not exceeding one year from the cancellation of the student's earlier admission, shall be considered only on the recommendation of the supervisor(s) and the Research Sub-committee concerned.

11. Programme Fee.—The programme fees shall be based on admission fee, fee for the preparatory work, evaluation fee and any other fees prescribed by the University from time to time, and will always be charged on annual basis. All students readmitted under Clause 10 shall pay full fees.

IV. M. PHIL. PROGRAMME

12. Structure of M.Phil. Programme.—The M.Phil. programme at IGNOU, reckoned in terms of full-time equivalent of student hours, shall consist of 30—60 credits :—

(i) 30 credits in such cases as involve no preparatory work and the award is made on the basis of dissertation only.

(ii) A maximum of 60 credits in such cases as involve preparatory work besides the work on a dissertation, provided that the preparatory work shall not exceed 30 credits in any case and that a student shall work on a dissertation only after successfully completing the preparatory work.

13. Duration of the M. Phil. programme

13.1 Minimum and maximum duration.—For full-time students [Clause 7(i)] the minimum and maximum time for completing the programme shall be one and three years respectively, counted from the date of admission to the programme.

For part-time students [Clause 7(ii and iii)], the minimum and maximum time for completing the programme shall be two and four years respectively, counted from the date of admission to the programme.

Provided that in case a student is required to do any course work, field study, laboratory work or any other type of preparatory work, the duration prescribed be extended by an additional one year at the lower limit only.

13.2 Extension of maximum duration :

(i) In exceptional circumstance if the supervisor(s) concerned and the Research Sub-committee recommend and the Vice-Chancellor deems it fit, a maximum grace period of one year beyond the normal maximum period of three|four years may be granted to enable the candidate to submit the dissertation.

(ii) If a student fails to submit the dissertation within the extended period of one year, his|her admission shall be cancelled and his|her name removed from the rolls.

14. Supervision of Research Work

14.1 Supervision :

(i) All M. Phil. students shall be required to work under a recognised supervisor who is a member of the faculty of the University.

(ii) In the case of part-time (external) students there shall be a recognised joint supervisor vide Clause 7 (iii) of this ordinance, from the Organisation or the IGNOU Regional Centre from the place where he|she is employed.

(iii) Joint supervisor for full-time and part-time (internal) candidates may be recommended by the Research Sub-committee concerned wherever absolutely necessary.

(iv) For the successful completion of an M. Phil Degree Programme, a student has to ensure a minimum number of contact hours with his supervisor|joint supervisor, as may be prescribed by the Research Sub-Committee for each discipline.

14.2 Qualification of a supervisor.—Recognition to supervisors and joint supervisors for guiding research work shall be accorded by the Academic Council on application in the prescribed format and duly recommended by a School Board of Studies provided the applicant concerned possesses :

(i) a Ph. D. Degree in the relevant or allied areas of research in which he|she proposes to guide students,

(ii) at least 5 years' experience in teaching|preparation of study materials|academic counselling and research, and

(iii) at least three publications in reviewed|standard journals during the preceding five years counted from the date a scholar is appointed as a supervisor for the student concerned.

14.3 Number of students per supervisor.—A supervisor shall not normally guide more than 2 M. Phil. students at any time.

15. Preparatory Work

It is provided that in most cases students shall be required to fulfil certain conditions before they start preparing their dissertation. Such work may take any of the following forms :

(i) Work through a prescribed programme or course(s) successfully,

(ii) work on a reading programme and clear a comprehensive examination based thereon,

(iii) complete some prescribed|exploratory laboratory work,

(iv) complete some prescribed|exploratory field study or

(v) fulfill residential requirements if prescribed.

Such preparatory work in all cases shall be completed within one year from the date of admission.

Provided further that such preparatory work shall be prescribed by the respective Research Sub-committees under the guidance of the School Board of study concerned and recommended by the Research Committee of the University. Provided also that where such preparatory work is deemed unnecessary, a prescription to that effect shall be made by the Resarech Sub-committee concerned under the guidance of the School Board of Study concerned and recommended by the Research Committee of the University.

16. Monitoring the Progress of Students

(i) Commencing from the date of admission a student shall submit progress reports periodically (once in six months) in the prescribed format to the supervisor(s) who shall forward them along with his|her remarks about and assessment of the work done that far to the Research Committee through the Research Sub-committee for review.

(ii) The supervisor and|or joint supervisor may arrange for a student to make a presentation of his|her work at a meeting, which is open to faculty members research scholars and those interested in that field of enquiry.

(iii) The admission of a student whose progress is either not satisfactory or who fails to complete the programme successfully in the maximum period stipulated for the M.Phil. programme shall be cancelled by the Academic Council.

17. Submission of Dissertation

(i) Normally the main dissertation is not expected to be more than one hundred and fifty standard pages excluding the appendixes and references. Each dissertation submittd shall include a certificate issued by the supervisor(s), acknowledgements of the customary type, but no dedications whatsoever. In cases where no preparatory work is involved. the main dissertation is not expected to be more than two hundred and fifty standard pages excluding the appendixes and references.

(ii) The certificate issued by the supervisor(s), as prescribed vide Clause 17(i) shall state that the dissertation is a record of the bonafide research work carried out by the student under his|her supervision and guidance and that the work reported in the dissertation has not been submitted elsewhere for a degree or diploma.

(iii) The dissertation shall report in an organised and scholarly fashion, an account of original research work of the student leading to reasonable generalizations or correlation of facts already known (analytical, experimental, hardware oriented etc.) or present an improved|better technique of educational communication demonstrating a quality as to make a definitive contribution to the advancement of knowledge and|or educational communication and also the student's ability to undertake sustained research, present the findings in an appropriate manner and|or contribute to educational communication innovatively.

(iv) Four copies of the dissertation shall be prepared in accordance with the format and specification prescribed vide Clause 16(i). Three of these shall be submitted to the Evaluation Division through the Director of the School concerned.

(v) Three copies of the abstract of the dissertation in about 500 words should be submitted, at least a month before the planned date of the submission of the dissertation, to the Research Sub-committee concerned to allow reasonable time for appointing examiners.

(vi) Publication of the results of the investigation before the submission of the dissertation is prmissible. Such publications shall be included as appendixes in the dissertation.

V. EVALUATION

18. Evaluation of Preparatory Work :—Each Research Sub-committee shall prescribe an evaluation scheme for the preparatory work they prescribe for the students admited hrough the school concerned, subject to the condition that a student shall be considered to have completed his|her prepratory work successfully if he|she obtains at least 'C' grade (measured on a five point scale) or 55% of the maximum score in each course| task taken up under preparatory work.

19. Evalution of Dissertation :

(i) There shall be two examiners the supervisor concerned and one external examiner who is not employee of the University. In case there are two supervisors, the one from the University Faculty shall function as one of the examiners.

(ii) The dessertation shall be referred to the external examiner nominated by the Vice Chancellor from the panel consisting of at least eight names proposed by the Research Sub-committee. and endorsed by the Research Committee. Provided that Vice-Chancellor, if he deems it necessary, may also nominate the examiners from outside the panel.

(iii) The examiners are expected to send their reports in the prescribed form within 2 months from the date of the receipt of the dissertation.

(iv) Each examiner shall include in his|her report an overall assessment placing the dissertation in one of the following categories;

(a) Recommended for the award of the degree of Master of Philosophy : Commended|Highly commended.

(b) Revision required and resubmission recommended

(c) Rejected.

Each examiner shall enclose a report of 200 to 300 words indicating the standard attained in case (a), the nature of revision required in cases (b) and the reasons for rejection in case (c).

(v) The Research Committee based on the reports of the examiners shall either accept he dissertation or reject it. The following criteria shall be adopted for this purpose.

(a) If both the examiners recommended the award of the degree, the dissertation shall be accepted for the award. Any minor revision, modification etc. suggested by the examiner(s) shall be carried out before the award of the degree is approved.

(b) If both the examiners recommend rejection, the dissertation shall be rejected and the admission of the student cancelled.

(c) If one examiner recommends the award of the degree while the other recommends rejection then the dissertation shall be referred to a third examiner to be nominated by the Vice-Chancellor vide Clause 17(ii). If two of the three examiners recommend the award, the dissertation shall be accepted. If two of the examiners recommend rejection, it shall be rejected and the admission of the student cancelled.

(d) If any examiner recommends revision of the thesis the student shall be permitted only once to revise and resubmit the dissertation within six months and the revised dissertation shall be referred to the same examiner who suggested revision for offering his final recommendation on the dissertation which should then be eiher recommended for the award or rejected.

VI. VICE CHANCELLORS POWER

20. Removal of Difficulties :—Nothwithstanding anything contained in the above ordinance, the Vice-Chancellor may like such measures as may be necessary in respect of candidates for M. Phil. who are admitted to the University.

[No. IG|ADMN(G)|ORD. 10|92]

D. C. PANT, Registrar (Acting)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 136:– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (वर्ग II, राजपत्रित) भर्ती नियम, 1969 को, जहां तक उनका संबंध मुद्रणालय प्रबन्धक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में मुद्रणालय प्रबन्धक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (मुद्रणालय प्रबन्धक) भर्ती नियम, 1995 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
मुद्रणालय प्रबन्धक	1* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अनन्-सचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रुपये	लागू नहीं होगा	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के	नहीं

6
लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मुद्रण और सहबद्ध व्यवसायों में डिप्लोमा या आफसेट मुद्रण में डिप्लोमा या समतुल्य । (ii) किसी मुद्रणालय /स्थापन में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव । टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्यों में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । वांछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । (ii) लिथो और आफसेट मुद्रण, अभिन्यास, डिजाइन बनाने और ब्लाक बनाने में व्यवहारिक अनुभव ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और अधिवर्षितावय से पूर्व सशस्त्र बल के पुन-नियोजित कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण/सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण :– केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 2000-3200 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 1640-2900 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iv) जिन्होंने 1400-2300/2600 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिको के लिए) :– सशस्त्र बल के सेकेंड लेफ्टीनेंट या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है । यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें शस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबन्धनों पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवा निवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिए गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी । (सिविल पदों के प्रति निर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किया अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) 1. निदेशक, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान —सदस्य 2. संकायाध्यक्ष —सदस्य 3. संबद्ध विभागाध्यक्ष —सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन) सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी । किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. ए. 11018/5/93-आर.आर./एम.ई. (पी. जी.)]

आर.एल. मल्होत्रा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 28th February, 1995

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Class II, Gazetted) Recruitment Rules, 1969 in so far as they relate to the post of Manager of Press except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager for Press in Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Manager for Press) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of the recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satsified that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-seection post
1	2	3	4	5
Manager for Press.	1* (One) 1995. *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Groupp 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Not applicable.

Age limit for direct recru ts	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.—The crucial date for determining the age limt shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lahshadweep).	No	Essental : (i) Diploma in Printing and Allied Trades or Diploma in Offset Printing from a recognised University/Institute or equivalent; (ii) 2 years practical experience in a Printing Press /Establishment. Note : 1—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2—The quaifiction regarding experience is relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Practical experience in Litho and Offse Printing, Layout, Designing and Block making.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct rectt. will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	2 years for direct recruits and Armed Forces Personnel re-employed before superannuation :	Transfer on deputation/transfer/re-employment of Armed Forces Personnel failing which by direct rectt.

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades, from which promotion/deputation/transfer, to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making rectt.
12	13	14
Transfer on deputation/Transfer : Officers under the Central/State Governments/Union Territories :— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With 2 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3200 or equivalent; or (iii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or (iv) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. Transfer on Deputation/Re-employment (for Armed Forces Personnel) The Armed Forces Personnel of the rank of second Lieutenant, or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualification and experience prescribed for direct recruits under Column 8 shall also be considered, if selected such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case, such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Cental Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation/transfer shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Group 'B' DPC (for Confirmation) : 1. Director, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research —Chairman. 2. Dean—Member. 3. Head of the Deptt. Concerned—Member 4. Dy. Director (Administration)—Member Note. The proceedings of the DPC relating to cnfirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with UPSC necessary.

[No. A.11018/5/93-RR/ME(PG)]
R. L. MALHOTRA, Desk Officer.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995